

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं० – एम० ०६/२०२३

वाद की प्रकृति :- धारा – १०७, द०प्र०सं०

झारखण्ड सरकार द्वारा थाना प्रभारी, चैनपुर –बनाम– चन्द्रदीप साय वगै०

आ दे श

पुलिस निरीक्षक–सह–थाना प्रभारी, चैनपुर थाना के चैनपुर थाना अप्राथमिकी सं० – ०६/२०२३, दिनांक – २८.०६.२०२३ से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – १०७ के तहत इस वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष चन्द्रदीप साय एवं रवि साय, दिलीप साय सभी ग्राम कटिम्बा, थाना – चैनपुर, जिला– गुमला को जमीन को लेकर हमेशा झगड़ा–झंझट एवं शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में, संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए।

प्रश्नगत वाद की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी है। थाना प्रभारी द्वारा विधि–व्यवस्था भंग होने की सूचना नहीं दी गई है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – १०७ के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण इस वाद की कार्यवाही बिना गुण–दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)